HINDUSTAN, Gurgaon, 18.5.2025
Page No. 2, Size:(5.89)cms X (7.10)cms.

युवाओं के हुनर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी

सोहना, संवाददाता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि सैन समाज के युवाओं के हुनर को अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने जा रही है। इस प्रयास में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सहयोगी की भूमिका निभाएगा।

यह बातें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य ने शनिवार को खंड के गांव नाई नंगला का दौरे के दौरान कही। इस अवसर पर सोहना के एसडीएम संजीव सिंगला, तहसीलदार गुरदेव, खंड शिक्षा अधिकारी डॉ संतोष सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रियंक कानूनगों ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हर वर्ग और समुदाय को समान

राष्ट्रीय मानवाधिकार सदस्य ने नंगला में दौरे के दौरान दी जानकारी

अवसर मिले तथा उनकी गरिमा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त करने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। सैन समाज, जो पारंपरिक रूप से कुशल हुनर से जुड़ा हुआ है। उसे अब आधुनिक कौशल में पारंगत हो आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि आयोग गांव की युवाशक्ति को हेयर ड्रेसिंग, ब्यूटी केयर, मेकअप आर्ट, पारंपरिक नाईगीरी कला, एवं अन्य विधाओं में पारंगत करने की प्रक्रिया में सहयोग करेगा।

DAINIK BHASKAR, Jodhpur, 18.5.2025
Page No. 7, Size:(8.02)cms X (8.22)cms.

मंत्री विजय शाह के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत

बूंदी| पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में शामिल महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी सामने आई थी। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। आयोग ने यह कार्रवाई राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक बूंदी निवासी चर्मेश शर्मा की शिकायत पर की है। शर्मा ने आयोग में मेल के जरिए ऑनलाइन शिकायत दी थी। आयोग ने इस पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शिकायत में कहा गया है कि विजय शाह की टिप्पणी भारतीय नारी सम्मान की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है। यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के भी खिलाफ है। शिकायत में मांग की गई है कि भारतीय सेना की सभी महिला अधिकारियों के सम्मान की रक्षा की जाए।

PUNJAB KESARI, Gurgaon, 18.5.2025
Page No. 2, Size:(11.59)cms X (10.16)cms.

नवोदय टाइम्स
Sun,18 May 2025
Edition: gurgaon, Page no. 2

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य ने गांव का किया दौरा

गुड़गांव, 17 मई (ब्यूरो): जिला के सोहना खंड स्थित नाई नंगला गाँव के सैन समाज के वे युवा जो पारंपरिक रूप से कुशल हुनर से जुड़े हुए हैं। ऐसे युवाओं के हुनर को अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने जा रही है।

इस प्रयास में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सहयोगी की भूमिका निभाएगा, जबकि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से युवाओं को कुशलता से प्रशिक्षित किया जाएगा। इस संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो ने शनिवार को गांव का दौरा कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में सोहना के एसडीएम संजीव सिंगला, तहसीलदार गुरदेव, खंड शिक्षा अधिकारी डॉ संतोष सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रियंक कानूनगों ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार

ग्रामीणों से किया सीधा संवाद

आयोग हर वर्ग और समुदाय को समान अवसर मिले तथा उनकी गरिमा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त करने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। उन्होंने कहा कि सैन समाज, जो पारंपरिक रूप से कुशल हुनर से जुड़ा हुआ है। उसे अब आधुनिक कौशल में पारंगत हो आगे बढ़ना होगा। आयोग गांव की युवाशक्ति को हेयर ड्रेसिंग, ब्यूटी केयर, मेकअप आर्ट, पारंपरिक नाईगीरी कला, एवं अन्य स्व-रोजगारोन्मुखी विधाओं में पारंगत करने की प्रक्रिया में सहयोग कर इन्हें एनसीआर जैसे बड़े बाजार क्षेत्र में मजूबती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में विशेष सहयोग करेगा। जिला प्रशासन उनके कौशल रोजगार में वृद्धि करने के लिए गांव में ही प्रशिक्षण शिविर आयोजित करे। प्रियंक कानूनगो ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के इन सकारात्मक प्रयासों का उद्देश्य सिर्फ रोजगार सृजन नहीं, बल्कि सामाजिक समावेश और गरिमापूर्ण जीवन की दिशा में एक ठोस कदम है। प्रशिक्षण के उपरांत युवाओं को प्रमाण पत्र, किट और ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है।

Times of India

NHRC asks for action taken report on old age pension 'fraud' in 2 districts

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/nhrc-asks-for-action-taken-report-on-old-age-pension-fraud-in-2-districts/articleshow/121240463.cms

May 17, 2025, 11.39 PM IST

Kendrapada: National Human Rights Commission (NHRC) has issued a second notice to Odisha's principal secretary demanding an action taken report (ATR) on the alleged misappropriation of old age pension funds in Kendrapada and Jajpur districts.

NHRC's action follows a petition filed by human rights activist and lawyer Radhakanta Tripathy, who alleged that young individuals fraudulently claimed old age pensions by manipulating age documents in Aul block of Kendrapada district and Binjharpur block of Jajpur.

Under the state's pension scheme, seniors aged 60-79 years receive Rs 1,000 monthly, while those above 80 years get Rs 1,200. However, the petition alleges that many beneficiaries below 60 years have been receiving payments due to their political connections, depriving genuine recipients.

NHRC had initially sought an ATR within four weeks on March 3. Following non-compliance, the commission has now given a two-week deadline, warning of invoking coercive powers under Section 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993, if the report is not submitted.

The development comes in the wake of a similar case last year when police charged around 65 people in Argala gram panchayat under Aul block for pension fraud. The case was registered following a complaint by block development officer Minati Jagdev, with charges including cheating by personation and document forgery under the Bharatiya Nyaya Sanhita.

NHRC, which holds civil court powers during inquiries, can examine witnesses, require information, enter premises and seize documents in pursuit of justice for the affected elderly people.

Kendrapada: National Human Rights Commission (NHRC) has issued a second notice to Odisha's principal secretary demanding an action taken report (ATR) on the alleged misappropriation of old age pension funds in Kendrapada and Jajpur districts.

NHRC's action follows a petition filed by human rights activist and lawyer Radhakanta Tripathy, who alleged that young individuals fraudulently claimed old age pensions by manipulating age documents in Aul block of Kendrapada district and Binjharpur block of Jajpur.

Under the state's pension scheme, seniors aged 60-79 years receive Rs 1,000 monthly, while those above 80 years get Rs 1,200. However, the petition alleges that many

beneficiaries below 60 years have been receiving payments due to their political connections, depriving genuine recipients.

NHRC had initially sought an ATR within four weeks on March 3. Following non-compliance, the commission has now given a two-week deadline, warning of invoking coercive powers under Section 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993, if the report is not submitted.

The development comes in the wake of a similar case last year when police charged around 65 people in Argala gram panchayat under Aul block for pension fraud. The case was registered following a complaint by block development officer Minati Jagdev, with charges including cheating by personation and document forgery under the Bharatiya Nyaya Sanhita.

NHRC, which holds civil court powers during inquiries, can examine witnesses, require information, enter premises and seize documents in pursuit of justice for the affected elderly people.

India Today

Students from 21 states begin online National Human Rights Commission internship

A group of 80 university students from 21 states and union territories has begun a two-week online training programme focused on human rights. Organised by the National Human Rights Commission (NHRC).

https://www.indiatoday.in/education-today/news/story/nhrc-launches-online-human-rights-internship-80-students-selected-2726255-2025-05-17

India Today Education Desk | New Delhi, UPDATED: May 17, 2025 13:57 IST

In Short

80 students from 21 states join two-week online human rights training

Internship includes lectures, competitions, and virtual prison tours

Programme aims to build awareness on justice, dignity, and equality

The National Human Rights Commission (NHRC) has launched its two-week Online Short-Term Internship Programme (OSTI) to provide students with an understanding of the significance of human rights in India. The online internship commenced this week with 80 shortlisted students from different universities of 21 States and Union Territories.

As per the NHRC, the programme saw a total of 1,795 registrations, of which 80 students were selected.

The participants belong to various academic backgrounds, and thanks to the online mode of work, students from the remotest parts of the country can participate without having to travel to Delhi.

MORE DETAILS ABOUT HUMAN RIGHTS PROGRAMME

NHRC Secretary General Bharat Lal opened the programme. In his speech, he informed the interns that youth have a significant role in maintaining the nation's values of justice, compassion, and dignity.

He added that the internship will equip them with an insight into how India's Constitution secures human rights and how students can be agents of equality in society.

He also clarified the reasons why the Commission organised the internship online. In his view, this format enables the NHRC to reach more students, particularly in peripheral regions where there is limited access to such avenues.

Bharat Lal provided a brief background on human rights evolution in India, the Supreme Court's central role, and how the NHRC acts to promote those rights.

The internship involves lectures by experts in the subject, group discussions, book review, public speaking exercises, and work in research. NHRC Joint Secretary Samir Kumar added that the students would also make virtual tours to places like Tihar Jail in order to see the human rights situation in real life.

Through this internship, the NHRC believes that the students will learn practical experience in human rights and help the nation develop into a responsible and equitable society.

The CSR Journal

Human Rights Directive on Manual Scavenging: हाथ से सीवर सफाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, NHRC ने सभी राज्यों से 14 आदेशों की तत्काल अमल की मांग की

https://thecsrjournal.in/human-rights-directive-on-manual-scavenging-hindi/https://thecsrjournal.in/human-rights-directive-on-manual-scavenging-hindi/

Published By -Rahuldeo Sharma | May 17, 2025 | Reading time - Less than 1 min.

भारत में अब भी हाथ से सीवर सफाई (Manual Scavenging in India) की घटनाएं सामने आने पर चिंता जताते हुए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission – NHRC) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2023 में जारी 14 महत्वपूर्ण निर्देशों को तत्काल लागू करने की सिफारिश की है। यह निर्देश डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत सरकार (2023) केस में दिए गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में हाथ से मल या गटर सफाई पर पूर्ण रोक (Ban on Manual Scavenging) होनी चाहिए। आयोग ने कहा कि यह प्रथा मानव गरिमा और समानता के अधिकार का उल्लंघन है, जो Article 21 और Article 14 के खिलाफ है।

Human Rights Directive on Manual Scavenging: NHRC की अपील: जागरूकता और सख्ती जरूरी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों, सफाई कर्मचारियों (Safai Karamchari), ठेकेदारों और नागरिकों के बीच कानूनी जानकारी और सामाजिक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आयोग ने कहा कि ऐसे मामलों में जल्द से जल्द FIR दर्ज कर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए और सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण (Safety Gear for Sanitation Workers) अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाए जाएं।

Human Rights Directive on Manual Scavenging: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की निगरानी जरूरी

आयोग ने एक प्रभावी निगरानी तंत्र (Monitoring Mechanism) स्थापित करने की मांग की है ताकि हर स्तर पर Manual Scavenging पर रोक लग सके। इसके साथ ही आयोग ने राज्यों से कहा है कि वे 8 हफ्तों के भीतर अपनी कार्रवाई रिपोर्ट NHRC को भेजें। NHRC का यह निर्देश एक निर्णायक मोड़ है, जो भारत को Manual Scavenging जैसे अमानवीय प्रथा से मुक्ति दिला सकता है। अब जरूरत है कि राज्य सरकारें और नगर निकाय मिलकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को सख्ती से लागू करें और सफाई कर्मियों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करें।

NDTV MP Chattisgarh

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने MP सरकार को जारी किया नोटिस, मंत्री शाह के विवादित बयान का है मामला

मंत्री शाह का कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए विवादित बयान देना बहुत ही महंगा पड़ गया है. इस मामले ने तूल पकड़ लिया है.राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लेते हुआ मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है.

https://mpcg.ndtv.in/madhya-pradesh-news/bhopal-national-human-rights-commission-issued-notice-mp-government-controversial-statement-minister-vijay-shah-sophia-qureshi-8435499

Reported by:Ajay Sharma | Written by:अंबु शर्मा | मध्य प्रदेश न्यूज़ | मई 17, 2025 10:36 am IST

Published On मई 17, 2025 09:28 am IST

Last Updated On मई 17, 2025 10:36 am IST Read Time:2 mins

Minister Vijay Shah Controversial statement: मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह के विवादित बयान के मामले में जवाब मांगा है.

मानव अधिकार ने भी दर्ज किया मामला

भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए विवादित बयान देने के बाद मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह बुरी तरह से फंस चुके हैं. विपक्षी पूरी तरह से सरकार पर हमलावर हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है. पूरे देश में किरकिरी हो रही है. वहीं अब राष्ट्रीय मानवाधिकार मामले ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है. आयोग ने मामला दर्ज करते हुए सरकार को नोटिस जारी कर दिया है.

दरअसल राजस्थान के नेता चर्मेश शर्मा ने मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की थी. इस शिकायत के बाद मंत्री शाह के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मामला दर्ज किया है.

Hindustan

एनसीआर में दिखेगा नाई नंगला गांव के युवाओं का हुनर

गुरुग्राम के नाई नंगला गांव में सैन समाज के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत युवाओं को हेयर ड्रेसिंग, ब्यूटी केयर, और अन्य हुनर में...

https://www.livehindustan.com/ncr/gurgaon/story-empowering-youth-skills-in-gurugram-national-human-rights-commission-and-pm-vishwakarma-scheme-collaboration-201747509638130.html

18 मई 2025

गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। सोहना खंड स्थित नाई नंगला गांव के सैन समाज के वे युवा जो पारंपरिक रूप से कुशल हुनर से जुड़े हुए हैं। ऐसे युवाओं के हुनर को अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने जा रही है। इस प्रयास में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सहयोगी की भूमिका निभाएगा, जबकि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से युवाओं को कुशलता से प्रशिक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने शनिवार को गांव का दौरा कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। प्रियंक कानूनगों ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हर वर्ग और समुदाय को समान अवसर मिले तथा उनकी गरिमा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त करने की दिशा में निरंतर कार्यरत है।

उन्होंने कहा कि सैन समाज जो पारंपरिक रूप से कुशल हुनर से जुड़ा हुआ है। उसे अब आधुनिक कौशल में पारंगत हो आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि आयोग गांव की युवाशक्ति को हेयर ड्रेसिंग, ब्यूटी केयर, मेकअप आर्ट, पारंपरिक नाईगीरी कला, एवं अन्य स्व-रोजगारोन्मुखी विधाओं में पारंगत करने की प्रक्रिया में सहयोग कर इन्हें एनसीआर जैसे बड़े बाजार क्षेत्र में मजूबती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में विशेष सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन उनके कौशल रोजगार में वृद्धि करने के लिए गांव में ही प्रशिक्षण शिविर आयोजित करे। योजना में 18 हस्त व्यवसायों को शामिल किया गया है। जिनमें सुनार, नाव बनाना, शस्त्राकार, लुहार, हथौड़ा व लोहे के औजार बनाना, ताला बनाना, सुनार, कुंभकार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई बनाना, गुड़िया व खिलौने बनाना, बारबर, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने के जाल बनाने का काम शामिल है। इस योजना में विभिन्न व्यावसायों से जुड़े दस्तकारों को प्रशिक्षण, टूल किट व बैंक लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना में कारीगर को पहले पीएम विश्वकर्मा.जीओवी.इन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के बाद इन कारीगरों की जिला में स्थापित किए गए कौशल विकास केंद्रों में पांच दिन की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। टूल किट खरीदने के लिए 15 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। छोटे कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले एक लाख रूपए का लोन दिया जाएगा। जिसको 18 महीनों में पांच प्रतिशत की ब्याज दर से चुकाया जाना है। बैंक ऋण की अदायगी के बाद इन कारीगरों को दोबारा ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। ट्रेनिंग में हर रोज 500 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। दो लाख रुपये का लोन मिलेगा, जिसकी अदायगी तीस माह में की जानी है। कार्यक्रम में सोहना एसडीएम संजीव सिंगला, तहसीलदार गुरदेव, खंड शिक्षा अधिकारी डॉ संतोष सहित कार्यक्रम में संयोजक सुशील वर्मा, बबिता यादव ग्राम सचिव मनोज कुमार सहित अन्य उपस्थित रहे।

Prabhat Khabar

West Singhbhum News : गर्भ में नवजात की मौत मामले में आयोग ने छह सप्ताह में रिपोर्ट मांगी

https://www.prabhatkhabar.com/state/jharkhand/west-singhbhum/new-born-dies-in-the-womb

By ATUL PATHAK | May 17, 2025 10:47 PM

चक्रधरपुर. पूर्वी सिंहभूम की रहने वाली पूनम दास जो एक गर्भवती महिला थी. उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जुगसलाई में उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एमजीएम जमशेदपुर लाया गया था. यहां बेड नहीं मिलने के कारण पूनम दास को जमीन पर लेटने को मजबूर हो गई थी. इस तरह उसे 27 घंटा फर्श पर ही रहना पड़ा था. डॉक्टरी चेकअप के बाद पेट में पल रहे बच्चे को मृत घोषित कर दिया था. एमजीएम अस्पताल के गैर जिम्मेदाराना कार्य और अस्पताल प्रबंधन की उदासीनता का मामला प्रभात खबर में प्रकाशित हुआ था. इसके बाद चक्रधरपुर के मानवाधिकार कार्यकर्ता बैरम खान ने इस मामले को लेकर चेयरमैन मानवाधिकार आयोग दिल्ली, मुख्य सचिव झारखंड सरकार व उपयुक्त पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा था. मानव अधिकार आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड सरकार के सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और उपायुक्त जमशेदपुर को नोटिस निर्गत किया है. इसमें कहा गया कि अगर सभी संबंधित विभाग 6 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराती है तो फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 का उपयोग करेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Janta Se Rishta

विधर्मी पहचान छुपाकर हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनका जीवन बना रहे नर्क

https://jantaserishta.com/local/madhya-pradesh/by-hiding-their-identity-as-non-hindu-people-they-are-trapping-hindu-girls-and-making-their-lives-hell-4019487

May 17, 2025

Raisen, रायसेन। हिन्दू जनजागरण संगठन सहित सकल सनातन हिन्दू संगठनों ने जिला मुख्यालय पर एकजुटता दिखाते हुए प्रदेश में हो रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर हुंकार रैली निकाली।इसके बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर पहुंचकर सकल हिन्दू समाज के लोगों द्वारा अपर कलेक्टर श्वेता पंवार को सौंपा ज्ञापन।

ज्ञापन के जरिए से एडीएम पवांर से मांग की गई कि प्रदेश पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) भले ही तत्परता से कार्य कर रहा हो, किंतु यह स्पष्ट हो गया है कि यह षड्यंत्र राज्य स्तर से ऊपर उठकर राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा प्रायोजित प्रतीत होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जांच समिति का गठन किया है। जिससे प्रकरण की व्यापकता और संवेदनशीलता स्वत: सिद्ध होती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ही एकमात्र सक्षम संस्था है, जो इन अंतराज्यीय व संगठित अपराधों की तह तक जाकर अपराधियों के नेटवर्क को उजागर कर सकती है। इसलिए इस मामले को एनआइए को सौंपा जाए।

बढ़ते लव जिहाद के मामलों को लेकर सकल हिंदू समाज ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन कलेक्टोरेट पहुंचकर एडीएम श्वेता पंवार को सौंपा। जिसके माध्यम से आरोपियों पर सत कार्रवाई की मांग की गई।

जानकारी के मुताबिक महामाया चौक पर सर्व हिंदू समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में नागरिक एकत्रित हुए। यहां रैली के रूप में कलेक्टोरेट पहुंचे। रैली में लव जिहाद के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली में शामिल लोगों के हाथ में लव जिहाद का विरोध करने वाली तख्तियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई थीं।

हिन्दू जन जागरण मंच के जिलाध्यक्ष एडवोकेट राजमल जैन संतोष साहू एडवोकेट, ने बताया कि विधर्मियों द्वारा अपनी पहचान छुपाकर हिंदू समाज की लड़कियों को फंसाकर उनका जीवन नर्क बनाया जा रहा है। प्रदेश देश के लगभग हर जिले में लव जिहाद के सुनियोजित अपराधों ने सिर उठा रखा है।जो कि यह संगठित अपराध एकदम गलत है।इस नौ सूत्रीय मांगों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है।

ज्ञापन सौंपने वालों में जिला बार एसोसिएशन एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कान चतुर्वेदी श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष अनिल चौरसिया,कार्यकारी अध्यक्ष रवि खत्री, रायसेन व्यापार महासंघ के अध्यक्ष संतोष साहू हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक राजमल जैन एडवोकेट सांची जनपद पंचायत की अध्यक्ष अर्चना सुनील पोर्ते हिंदू जागरण मंच से सविता कुशवाहा से संयोजक बृजेश लोधी एडवोकेट लखन सिकरी रवि अहिरवार, संतोष यादव, दीपक कुशवाहा ,वरिष्ठ अधिवक्ता रामबाबू शर्मा संघर्ष कुमार शर्मा एडवोकेट ,चंद्रशेखर शर्मा अधिवक्ता अवधेश दीक्षित अधिवक्ता ,अंकिता परिहार, नीतू राठोर, प्रियंका लोधी निकिता विश्वकर्मा ,सुनीता कुशवाहा सहित कई महिलाएं मौजूद रही।